न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, गोण्डा।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1044/2026

CNRNo.UPGD010031412026

1–देवेन्द्र प्रताप उर्फ लल्लू तिवारी आयु करीब 60 साल पुत्र रामानन्द तिवारी,
2–अरूण तिवारी आयु करीब 32 साल पुत्र देवेन्द्र प्रताप उर्फ लल्लू तिवारी,
निवासीगण–ग्राम मन्सुखपुर, थाना–छपिया, जिला–गोण्डा।

.....

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।

बनाम

सरकार उ०प्र०।

..... **विपक्षी।**

मुकदमा अपराध संख्या–190/2014
धारा–147,148,149,504,506 भा.दं.सं. व
3(1)(X) एस.सी./एस.टी. एक्ट,
थाना–छपिया, जिला–गोण्डा।

दिनांक–08.06.2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **देवेन्द्र प्रताप उर्फ लल्लू तिवारी व अरूण तिवारी** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–190/2014, धारा–147, 148, 149, 504, 506 भा.दं.सं. व 3(1)(X) एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना–छपिया, जिला गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण दिनांक–05.05.2026 से अन्तरिम जमानत पर है और आज न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा शोभावती द्वारा इस आशय की लिखित तहरीर थाना–छपिया, जनपद–गोण्डा में दी गयी कि प्रार्थिनी एक गरीब महिला है, जिसने अपने घर के बगल यूकेलिपटस का पेड़ लगा रखा है, जिसे विपक्षीगण दिनांक–25.12.2013 को समय करीब 06 बजे शाम को नुकसान कर रहे थे। प्रार्थिनी ने नुकसान करने से मना किया तो विपक्षी संख्या–1 ललकारते हुए कहा मारो चमारिन साली को और सभी मुल्जिमान प्रार्थिनी को मारने दौड़े तो भागकर घर में घुस गयी कि विपक्षीगण घर में घुसकर घर के अन्दर प्रार्थिनी को मारने लगे प्रार्थिनी का बेटा राम कुमार बचाने दौड़ा तो मुल्जिमान ने टेगारी से उसके पीठ पर मारा और घर में मुल्जिमान ने तोड़ फोड़ किया, जिससे करीब 2000/– का नुकसान हुआ घर में रखा गेहूं की बोवाई का 2000/– मुल्जिमान

Digitally signed by Alok Sharma
Date: 2026.07.04 10:40:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जबरन लूट लिए प्रार्थिनी को गन्दी–गन्दी गाली दिये और जान से मारने की धमकी दिये हल्ला गोहार के शोर को सुनकर मौके पर रामायण व पिन्टू व तमाम लोग आ गये, घटना को देखे, बीच बचाव कराये तब प्रार्थिनी की जान बची।

उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना–छपिया, जिला–गोण्डा में दिनांक–22.07.2014 को 21.15 बजे, देवेन्द्र प्रताप उर्फ लल्लू तिवारी, शोभाराम, अरूण तिवारी, शिव कुमारी, मीना व सुरेन्द्र कुमार के विरूद्ध घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 392, 452, 504, 506, 427 भा.दं.सं. व 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट, पंजीकृत की गयी।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण बिल्कुल निर्दोष व बेगुनाह है प्रार्थीगण के उपरोक्त मुकदमें के संचालन की कोई जानकारी न्यायालय द्वारा कभी भी निर्गत नहीं की गयी इसलिए प्रार्थीगण उपरोक्त मुकदमें में उपस्थित नहीं आ सके और न जानकारी के अभाव में जमानत प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थीगण को वादिनी मुकदमा द्वारा रंजिशन उपरोक्त मुकदमें में फर्जी तरीके से फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने वादिनी मुकदमा को अन्य अभियुक्तों के साथ एक समूह में एकराय होकर न तो गाली गुप्ता दिया है, न ही जाति सूचक गाली दिया है न जान से मारने की धमकी दी है न ही सशय अपमानित किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित घटना झूंठी व बनावटी है। उपरोक्त मुकदमें में समस्त साक्षीगण वादिनी मुकदमा के मेली व मदद्गार है। प्रार्थीगण पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। प्रार्थीगण बाद जमानत विचारण में सहयोग करेंगे। प्रार्थीगण न्यायालय द्वारा पारित जमानत आदेश का ससम्मान पूर्वक पालन करेंगे। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार करके प्रार्थीगण को ता फैसला मुकदमा उचित जमानत व मुचलके पर रिहा किये जाने की कृपा की जावे।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपराध की गम्भीरता के आधार पर जमानत का विरोध किया गया है और जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचक श्रीमती शोभवती द्वारा दिनांक–25.12.2013 को आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए एक राय होकर गाली गुप्ता देते हुए मारने पीटने व जान माल की धमकी देने के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। केस डायरी में संलग्न चोटहिलों की आघात आख्या को संलग्न किया गया है, जिसमें चोटहिलों को आयी चोटें साधारण प्रकृति की है। मामलें में विवेचना उपरान्त आरोप पत्र दाखिल हो चुका है तथा दौरान विवेचना अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सम्बन्धित थाने से आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण अन्तरिम जमानत पर है, उनके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है तथा स्वंय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया है, शेष अन्य बातें साक्ष्य का विषय है।

ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर विचार व्यक्त किये आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है, तद्नुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **देवेन्द्र प्रताप उर्फ लल्लू तिवारी व अरूण तिवारी** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–190/2014, धारा–147, 148, 149, 504, 506 भा.दं.सं. व 3(1)(X) एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना–छपिया, जिला गोण्डा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1044/2026 **स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु०–20,000–20,000/–रूपये (बीस–बीस हजार रूपये) के व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो–दो प्रतिभू दाखिल किए जाने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

(आलोक शर्मा)

दिनांक–08.06.2026

विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
गोण्डा।
JO Code-UP1751